216 (6) आई डी ए पैटर्न का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को अंतरिम राहत स्वीकार करना

आई डी ए पैटर्न का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यपालकों के वेतन को संशोधित करने की सिफारिश करने हेतु सरकार द्वारा गठित वेतन संशोधन समिति ने 1.1.97 से समायोज्य अंतरिम राहत (आई आर) के रूप में वर्तमान मूल वेतन के 10% का भुगतान करने की सिफारिश की है। सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है और यह निर्णय लिया है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के 10% की सीमा तक, जिसकी न्यूनतम राशि 280/–रू. प्रतिमाह होगी, अंतरिम राहत भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाए:

(क) ये अनुदेश आई डी ए पैटर्न का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लागू हैं।

(ख) अंतरिम राहत के रूप में अदा की गई राशियां पूर्णत: समायोजित की जाएंगी और अंतिम वेतन संशोधन पैकेज में उप–योजित की जांएगी।

(ग) इस अंतरिम राहत के भुगतान की देयताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोई बजटीय समर्थन प्रदान नहीं किया जाएगा।

(घ) तारीख 1.1.97 से अंतरिम राहत की अनुमति दी जा सकती है।

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन को, उद्यम की वित्तीय स्थिति तथा ऐसी अंतरिम राहत की अनुमति प्रदान करने के अन्य निहितार्थों पर विचार करते हुए, अधिकारियों और कामगारों को उनके मूल वेतन का 10% की सीमा तक (जिसकी न्यूनतम राशि 280/–रू. प्रतिमाह होगी) अंतरिम राहत मंजूर करने पर निर्णय लेने की स्वतंत्रा होगी।

(च) बी आई एफ आर को संदर्भित बीमार उद्यमों और घाटे में चल रहे अन्य उद्यमों क कर्मचारियों को, जिनके वेतनमान को 1.1.92 से अब तक संशोधित नहीं किया गया है, कोई अंतरिम राहत संजूर नहीं की जानी चाहिए।

(छ) अंतरिम राहत की राशि विशिष्ट होगी अर्थात् इसे ''वेतन'' या ''भत्ता'' या ''मजदूरी'' के रूप में नहीं माना जाएगा। तद्नुसार यह राशि किसी सेवा हितलाभ अर्थात् मकान किराया भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता, समयोपरि भत्ता, नकद प्रतिपूर्ति, छुट्टी भुनाना, वेतन नियतन, पेंशन और उपदान के अभिकलन के लिए नहीं गिनी जाएगी।

प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे पूर्वोक्त को, सार्वजनिक उद्यमों द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए, अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले सार्वजनिक उद्यमों की जानकारी में लाएं।

(सार्वजनिक उद्यम विभाग के तारीख 19 अगस्त, 1998 के का.ज्ञा.सं.2/44/97–डी पी ई (डब्ल्यू. सी)